नम्बर व त
अहकाम ज
हुक्म की ता
जारी ह

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 65/24

GCMS NO 2024/122

1. अख्तर पुत्र यासीन खान जाति मुसलमान
2. कबीरा पुत्र यासीन खान जाति मुसलमान
3. परवीन पुत्री यासीन खान जाति मुसलमान निवासीयान ग्राम खिरनी तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. सुखदेवा पुत्र जिन्सी रेगर
2. गोपीलाल पुत्र कोरया रेगर
3. किशनलाल पुत्र कारेया रेगर
4. भौरीलाल पुत्र कोरया रेगर
5. मुस्तकीम पुत्र यासीन खां समस्त निवासीयान ग्राम खिरनी तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर
6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलारना डूँगर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 59/14 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.2.20 न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर)

अभिभाषक अपीला0 श्री हिम्मत सिह
अभिभाषक रैस्पो0 कोई उपस्थित नही।

दिनांक 21.4.25

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 27.2.20 न्यायालय उप जिला कलक्टर, मलारना डूँगर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 2 ता 4 द्वारा दावा उदघोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि भूमि ख0न0 3613/1 रकबा 2 बीघा 14 विस्वा, 3613/3 रकबा 10 विस्वा कुल रकबा 3 बीघा 4 विस्वा वादीगण के पिता कोरया पुत्र रूपल्या रैगर को दिनांक 16.6.76 को आवंटन हुई थी। आवंटन के समय से ही भूमि पर वादीगण के पिता का कब्जा [illegible] आ रहा था। वादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात भूमि पर वादीगण का कब्जा [illegible] रहा है। नामा0 संख्या 1736 दिनांक 16.10.77 मे वादीगण के पिता बतौर [illegible] है। उपरोक्त नम्बरो [illegible] वर्तमान भू प्रबंध विभाग ने नवीन ख0न0 7000 रकबा 0.22 है0, 7001/[illegible]196 रकबा 0.05 है0, [illegible]01 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:45:04 IST
Reason: Self Attested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

0.17 है0 व ख0न0 7037 रकबा 0.16 है0, 7043/12414 रकबा 0.16 है0, 7022 रकबा 0.05 है0 कुल रकबा 0.81 है0 बना है। हाल ख0न0 7000 रकबा 0.22 है0 व ख0न0 7001/12196 रकबा 0.05 है0 कुल रकबा 0.27 है0 हाल जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 मे सुखदेवा पुत्र जिंसी की खातेदारी मे दर्ज है जो गलत है। इस नाम का कोई भी व्यक्ति ग्राम खिरनी मे नही रहता है। इन नम्बरो पर वादीगण के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा कभी नही रहा है व ख0न0 7043/12414 रकबा 0.16 है0 अख्तर खां, मुस्तकीन खां, रहमानी, कबीरा, परवीन के नाम खातेदारी मे दर्ज है जो गलत है। ख0न0 7001 रकबा 0.17 है0 व ख0न0 7037 रकबा 0.16 है0 तथा ख0न0 7022 रकबा 0.05 है0 वर्तमान मे सिवायचक दर्ज है। वादीगण के कब्जा काश्त के नवीन नम्बर साबिक नम्बर 3613 से ही बने है। मिलान क्षैत्रफल मे 3613 के 9 मिन नम्बर बने है। साबिक ख0न0 3613 के मिन नम्बरो की मौके पर पुराने नक्शे मे तरमीम नही होने के कारण मिलान क्षैत्रफल शामिल तैयार किया गया है। वादीगण की कब्जे काश्त की भूमि पर अन्य खातेदार की भूमि तरमीम कर रखी है। इसकी जानकारी पटवारी हल्का द्वारा वादीगण द्वारा केसीसी बनवाने के लिए पटवारी के पास जाने पर पटवारी द्वारा बताई गई। इसलिए दावा करना आवश्यक हुआ। अतः वादी का वाद पत्र इस अमर का डिक्री फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण का नाम ख0न0 7043/12414 रकबा 0.16 है0 व ख0न0 7000 रकबा 0.22 है0, 7001 रकबा 0.05 है0 से हजफ किया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। खसरा न0 7001 रकबा 0.17 है0 व ख0न0 7037 रकबा 0.16 है0 तथा 7022 रकबा 0.05 है0 मे वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/रेस्पो0 संख्या 2 ता 4 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/रेस्पो0 संख्या 2 ता 4 का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 2, 5 व 6 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस अपीलांट अभिभाषक एवं रेस्पो0 संख्या 2 ता 4 की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय पारित करने से पूर्व राजस्व रिकार्ड का सही प्रकार से अवलोकन नही किया। इसलिए अदालत मातहत का निर्णय अपास्त योग्य है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि अपीलांट के पिता यासीन खां पुत्र याकूब खां को दिनांक 20.6.81 को ख0न0 3613 रकबा 13 विस्वा तथा ख0न0 4373 रकबा 4 बीघा 1 विस्वा राजस्व अधिनियम मे आवंटित हुई जो कि दिनांक 30.6.81 को अपीलांट के पिता यासीन खां की [illegible] से दर्ज हुई उक्त भूमि दिनांक 25.10.10 को गैर खातेदारी से यासीन खां को खातेदारी मे दर्ज [illegible] नामान्तिरकरण पर स्पष्ट अंकन है कि यासीन खान पुत्र याकूब खां का मौका पर कब्जा होने के कारण खातेदारी मे दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:45:04 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

करने की स्वीकृति हेतु पेश है। उक्त ख0न0 इस प्रकार है। साबिक ख0न0 3613 नवीन ख0न0 7043/12414 रकबा 0.16 है0, 4373 नवीन ख0न0 11668/12415 रकबा 0.52 है0, 4373 नवीन ख0न0 11671 रकबा 0.08 है0, 4373 नवीन ख0न0 11710 रकबा 0.04 है0, 4373 नवीन ख0न0 11711 रकबा 0.04 है0, 7373 नवीन ख0न0 11712 रकबा 0.25 है0, 4343 नवीन ख0न0 11716/12417 रकबा 0.02 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.25 है0 है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि हल्का पटवारी द्वारा आवंटन की गई भूमि पर कब्जा होने के कारण तथा लगातार खेती करने के कारण ही उक्त भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी मे दर्ज किया है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि आवंटन की गई भूमि मे किसी भी प्रकार की अनियमितता होने के कारण मात्र 14(4) मे प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर के यहॉ पेश कर आवंटन खारिज कराया जा सकता है। उप जिला कलेक्टर को उक्त प्रकरण को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही है। बिना क्षेत्राधिकार के अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अदालत मातहत ने बिना किसी आधार के बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के अपीलांट के पिता को आवंटित की गई खातेदारी की भूमि को रेस्पो0 के नाम करने की निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई है। जो खारिज योग्य है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि सुखदेवा पुत्र जिंसी को खातेदारी मे दर्ज भूमि बिना सिविल कोर्ट मे उसकी मृत्यु की उद्घोषणा कराये किसी भी व्यक्ति के नाम दर्ज नही कराई जा सकती। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अधिवक्ता द्वारा समय पर नही दिये जाने के कारण निर्णय व डिक्री की जानकारी समय पर नही हो सकी। दिनांक 6.8.24 को अपीलांट भूमि की नकल लेने के लिए तहसील मे गया तो उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। इस प्रकार अपील जानकारी होने से अन्दर मियाद पेश है साथ ही धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से संलग्न है। प्रकरण अचल सम्पति का है। जिसमे अपीलांट को साक्ष्य पेश करने का अवसर नही दिया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर अपीलांट को साक्ष्य का अवसर दिये जाने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड फरमाया जावे।

रेस्पो0 संख्या 2 ता 4 द्वारा न्यायालय मे स्वयं उपस्थित होकर कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानो के तहत ही निर्णय पारित किया है। अपीलांट का यह कथन गलत है कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलांट को वकील द्वारा नही दी गई। जबकि सत्यता यह है कि उनके वकील द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समय समय पर पैरवी की गई है। उनके वकील द्वारा साक्ष्य नही कराने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य बंद किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमे कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:45:04 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजा का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि भूमि ख0न0 3613 रकबा 13 विस्वा एवं 4373 रकबा 4 बीघा 1 विस्वा अपीलांट के पिता यासीन खां पुत्र याकूब खां को दिनांक 20.6.81 को आवंटित हुई है। विवादित आराजीयात मे अपीलांट एवं रेस्पो0 के हक एवं अधिकारो का निर्धारण साक्ष्य के पश्चात ही तय किये जा सकते है। अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट की साक्ष्य प्रस्तुत नही हुई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो0 की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। किसी भी पक्षकार को सुने बिना उसकी आराजीयात को हजफ किया जाना कानूनी प्रावधानो के विपरीत है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अत:अपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर के प्रकरण संख्या 59/14 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.2.20 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुन: विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 9.6.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 21.4.25 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:45:04 IST
Reason: SelfAttested